राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भवानी सिंह बनाम रामचन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	524/2024	
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 04/02/2026 को पेश हो।	
04/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।	
05/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम बलेखण, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 342/2 रकबा 0.5300 हैक्टेयर किस्म चाही 2 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5300 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 30 के खसरा नम्बर 342/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म चाही 2, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार उपयोग उपभोग में लेने के समस्त हक अधिकार प्राप्त है। जिसमें आवागमन हेतु मौके पर प्रार्थीगण के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण कर भूमि के उत्तरी दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 51 में खसरा नम्बर 153 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म जाव 1, खसरा नम्बर 155/1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म जाव 1, खसरा नम्बर 329/1 रकबा 0.400 हैक्टेयर किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 330/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किस्म जाव 1, खसरा नम्बर 331/1 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 331/2 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 331/3 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 337/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.6700 हैक्टेयर किस्म चाही 1 कुल खसरा किता 11 का कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 331/1, 331/2, 333, 331/3 रास्ते के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण लेते आ रहे है एवं भूमि खसरा नम्बर 339 की सीमा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भवानी सिंह बनाम रामचन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में प्रवेश करते हुये भूमि खसरा नम्बर 338 की पश्चिमी सीमा से लगते हुये दक्षिणी ओर प्रार्थीगण अपनी भूमि में प्रवेश करते चले आ रहे है एवं उक्त भूमियों में रास्ते सहित प्रवेश करने के एवज में प्रार्थीगण ने 1,20,000/- रूपये अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 को नगद अदा कर दिये थे। जिस कारण से अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित खसरा नम्बरान जो कि रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का आवागमन हेतु प्रार्थीगण को उपलब्ध करा रखा है, परन्तु रबी की फसल की बा-जोत के पश्चात उक्त चालू रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर बंद कर दिया है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 331/1, 331/2, 333, 331/3 की भूमि में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा आवागमन, कृषि कार्य करने हेतु साधन लाने ले जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है, ना ही अन्य कोई रास्ते का विकल्प है। उनवानी प्रकरण, भवानी सिंह बनाम रामस्वरूप मुकदमा संख्या 14/2022, न्यायालय श्रीमान के समक्ष लम्बित है एवं प्रार्थी भवानी सिंह ने खसरा नम्बर 367 जो कि खातेदार रामस्वरूप पुत्र बालू अहीर, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूँ जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से रास्ते की मांग कर रखी है। रास्ते के रूप में राजस्व नक्शे में प्रदर्शित रास्ता खसरा नम्बर 331/1, 333, 331/3 को मौके से खुलवाया जाकर खसरा नम्बर 339 की पूर्वी सीमा से लगते हुये 4 मीटर चौडा एवं उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की लम्बाई अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 342/2 में प्रवेश करने तक भूमि पर काश्त करने, साधन लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीला रंग से दर्शाया गया है। भूमि खसरा नम्बर 367 की सीमा से लगता हुआ जो कि भवानी सिंह ने रास्ता की मांग कर रखी है से आगे रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 28.12.2022 को चालू रास्ते को बंद कर दिया एवं मौके पर प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता देने बाबत निवेदन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्व में भी 1,20,000/- रूपये अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये अदा कर दिये है। फिर भी प्रार्थीगण रास्ते के बदले डी.एल.सी. दर की राशि देने अथवा भूमि के बदले भूमि देने के लिए भी निवेदन किया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि राजस्व नक्शे में प्रदर्शित रास्ता खसरा नम्बर 331/1, 331/2, 333, 331/3 को मौके से रास्ता दिलवाया जाकर खसरा नम्बर 339 की पूर्वी सीमा से लगते हुये 4 मीटर चौडा एवं उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की लम्बाई अनुसार भूमि खसरा नम्बर 367 की सीमा

से लगता हुआ जो कि भवानी सिंह ने रास्ता की मांग कर रखी है से आगे रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 342/2 में प्रवेश करने तक भूमि पर काश्त करने, साधन लाने ले जाने हेतु रास्ते की भूमि को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीला रंग से दर्शाया गया है को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले भूमि या न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार डी.एल. सी. दर से राशि अदा करने को तैयार एवं तत्पर है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1/अपीलार्थी की और से अधिवक्ता श्री भगवती सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट पेश की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/05/2024 पारित करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का समुचित परिक्षण/विवेचन करते हुये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होना स्पष्ट होने पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से सही रूप से रिकार्डेड रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | कानूनन भी किसी भी काश्तकार को उसकी खाते की कृषि आराजी पर कृषि को उन्नत किये जाने हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/05/2024 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |